कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः फा.15(30)(1)सविरा / नियम / उपनियम / 2004 / पार्ट–2 दिनांक 30/4/2014

अतिरिक्त / संयुक्त
सहकारी समितियाँ,
......................खण्ड

विषय : जिला सहकारी संघों के आदर्श उपनियम।

उपरोक्त विषयान्तर्गत 97वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया जाकर दिनांक 24 अप्रेल,2013 को अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम में किये गये संशोधनों के आलोक में राज्य के जिला सहकारी संघों के आदर्श उपनियमों में यथास्थान संशोधन अंतरित किये जाकर आदर्श उपनियम की एक प्रति संलग्न कर लेख है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सभी संबंधित जिला सहकारी संघों के उपनियमों को उक्तानुसार संशोधित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त पंजीयक (मा.स.वि.), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी संघ लि0, जयपुर।
6. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड पत्रावली।

उप रजिस्ट्रार (नियम)

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
7	संघ की कार्यकारिणी द्वारा निश्चित स्थान एवं दिनांक को संघ की साधारण सभा होगी। संघ की कार्यकारिणी आवश्यकतानुसार संघ की साधारण सभा बुला सकेगी जो उसकी अपनी इच्छानुसार, रजिस्ट्रार के अनुरोध पर अथवा 1/5 सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर होगी। साधारण सभा वर्ष में कम से कम एकबार बुलानी आवश्यक होगी।	**प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः मास की कालावधि के भीतर भीतर अधिनियम** एवं नियमों के अंतर्गत वार्षिक साधारण सभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यक होगा।
10(6)	**कोई प्रावधान नहीं।**	**<u>नया जोड़ा गया।</u>** **सोसाइटी की लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु अधिनियम की धारा 54(4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल मे से लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करना।**
10(7)	**कोई प्रावधान नहीं।**	**<u>नया जोड़ा गया।</u>** **सोसाइटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुपालना रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्ध सोसाइटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।**
11(2)	व्यक्तिगत सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि – चार	व्यक्तिगत सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि – पांच
11(3)	उपरोक्त ग्यारह निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त तीन मनोनीत सदस्य निम्नानुसार होंगे :– (क) जिले का उप/सहायक रजिस्ट्रार (ख) दो अन्य सदस्य, जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा मनोनीत किये जा सकेंगे।	उपरोक्त **बारह** निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त तीन मनोनीत सदस्य निम्नानुसार होंगे :– (क) जिले का उप/सहायक रजिस्ट्रार (ख) दो अन्य सदस्य, जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा मनोनीत किये जा सकेंगे।
12	संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। सदस्यों का निर्वाचन सहकारिता अधिनियम के प्रावधानानुसार होगा। यदि बीच में कोई स्थान रिक्त होगा, तो उसकी पूर्ति सहकारिता अधिनियम के प्रावधानानुसार हो सकेगी।	12(1) संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। **12(2) संचालक मण्डल का चुनाव राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 34 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा कराया जावेगा।** **12(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी संचालक मण्डल के पदाधिकारियों के निर्वाचनों के संचालन हेतु विद्यमान संचालक मण्डल की अवधि की समाप्ति के छःमाह पूर्व लिखित सूचना राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।** **12(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, संघ के संचालक मण्डल में किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् लिखित सूचना भी भेजेगा।**

		12(6) संचालक मण्डल के प्रत्येक चुने गये सदस्य के आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार की जावेगी। जिसके अनुसार समिति रिक्त पदों को नामनिर्देशन द्वारा भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधी के आधे से कम है। किन्तु यदि मूल पदावधी आधे से अधिक है तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नाम निर्देशन या यथास्थिति सहयोजन द्वारा भरी जावेगी और ये सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।
16(12)	कोई प्रावधान नहीं।	नया जोड़ा गया। वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट तैयार कर साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना तथा अनुपालना रिपोर्ट की प्रति रजिस्ट्रार और उसकी संबद्ध सोसाइटीयों को भेजना।
24	कोई प्रावधान नहीं।	नया जोड़ा गया। संघ प्रत्येक वितीय वर्ष की समाप्ति के छःमाह के भीतर–भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेगा, अर्थातः– (क) अपनी कियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट (ख) अपने लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण (ग) अधिशेष के व्ययन के लिये योजना, जो संघ के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो (घ) संघ की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो, की सूची (ङ) अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे मे घोषणा और (च) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय–समय पर अपेक्षा करें।